निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 32/21 दावा
दायरा दिनांकः—23.04.2021
निर्णय दिनांकः— 01-4-24

उनवान

1. जगन्नाथ आयु 80 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

...............वादी

बनाम

1. गोपीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
2. सुखनंद आयु 30 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
3. चंदन आयु 25 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

.............प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 01-04-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भवर सिंह जादौन — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वादी के स्वंय के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ,खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 1239 की रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके माल निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। जिस पर वादी गत् कई वर्षो से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वाी की वाद पत्र में मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का अधिक उपजाउ पुनः देखकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मन में बद्धयांति आ गई है, तथा वह वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर कब्जा कर उसे बेदखल करने पर उतारू जिसका कि उन्हे वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। वादी दिनांक 18.04.2021 को अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 1239 की रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके माल निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0) पर ट्रेक्टर लेकर खरार करने गया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 लट्ठ—गंडासी लेकर वादी के ट्रेक्टर के आडे फिर गये तथा वादी को उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर खरार नही करने दी और खरार करने पर हाथ—पेर काटकर जान से खत्म करने की धमकी दी। वादी एक अत्यन्त वृद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्यक्ति है जिसके जिविकापार्जन का साधन एक मात्र उक्त कृषि भूमि है यदि प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा कर लिया तो उसके भूखे करने की नौबत आ जावेगी। वाद कारण दिनांक 18.04.2021 का उत्पन्न हुआ जबकि वादी अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 1239 की रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके माल निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0) पर ट्रेक्टर लेकर खरार करने गया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 लट्ठ–गडासी लेकर ट्रेक्टर के आडे फिर गये और वादी के उसके कब्जे काश्त की भूमि पर खरार नही करने दी और खरार पर हाथ–पैर काटकर जान से खत्म करने की धमकी दी।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध 14.09.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 128 पेश की गई साक्ष्य वादी में PW1 जगन्नाथ के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते है प्रतिवादीगण वादी को उसके खातेदारी एवं कब्जे की भूमि पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है वादी वृद्ध व्यक्ति है जिसके जिविकापार्जन का एक मात्र साधन उक्त विवादित आराजी ही है प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। वादी का वाद स्वीकार किया जावे। तथा प्रतिवादीगण का पाबन्द किया जावे की वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अराजी में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 128 के अनुसार जगन्नथ पुत्र माधोलाल जाति मीना सा0 गोविन्दपुरा का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने का प्रयास करना साबित होता है। प्रतिवादीगण को वादी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1239 रकबा 4.13 बीघा जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 32/21	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 01.04.24
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री भवर सिंह जादौन–वादी		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

वाद शीर्षक

1. जगन्नाथ आयु 80 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. गोपीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
2. सुखनंद आयु 30 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
3. चंदन आयु 25 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1239 रकबा 4.13 बीघा जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक....01-04-24....को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:33 IST
Reason: SelfAttested